99/19 लैण्ड होल्डर बनाम सरकार

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
19-1-2021	लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उप० । साक्ष्य को समय चाहते हैं । वास्ते साक्ष्य पत्रावली दि० 2-1-2021 को पेश हो ।
2-1-2021	पत्रावली पेश हुई/~~वकील वादी/प्रतिवादी/ अपीलार्थी/रेस्पोन्डेन्ट/प्रार्थी/अप्रार्थी/उभयपक्ष~~ लैण्ड होल्डर के प्रतिनिधि उपस्थित हैं/~~अनुपस्थित है~~। श्रीमान् ~~पीठासीन~~ अधिकारी भ्रमण पर है/~~अवकाश पर हैं/अन्य कार्यों में व्यस्त हैं/का स्थानांतरण हो गया है।~~ अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 3-2-2021 को पेश हो। रीडर
3-2-2021	लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी उप० । लैण्ड होल्डर ने स्वयं के बयान दर्ज करवा कर अपनी साक्ष्य पूर्ण की । वास्ते बहस पत्रावली दि० 9-2-2021 को पेश हो ।
9/2/21	लैण्ड होल्डर तहसीलदार उप- है। बहस सुनी गई। भूमि ख.न. 5361/0.46 है., ख.न. 5362/0.79 है. को सिवाय चक [illegible] (उपनिवेश) [illegible] विस्तृत निर्णय पृथक से [illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से खारिज हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी (स०मा०)

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:20 IST
Reason: SelfAttested

तारीख पेशी 5.08.2019 तारीख निर्णय 9.2.2021

सरकार जरिए तहसीलदार गंगापुर सिटी —प्रार्थी

बनाम

जगदीश पुत्र प्रभूदयाल, रैगर निवासी रैगर मौहल्ला, गंगापुर सिटी

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित :— लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी

निर्णय

लैण्ड होल्डर तहसीलदार गंगापुर सिटी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आर. टी. एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि ग्राम उदेईकलॉ पटवार मंडल उदेईकलॉ स के आराजी ख0न0 5361 रकबा 0.46 है0 व ख0न0 5362 रकबा 0.79 है0 जगदीश पुत्र प्रभूदयाल जाति रैगर निवासी रैगर मौहल्ला, गंगापुर सिटी के नाम जमाबंदी संवत 2073–2076 खातेदारी मे दर्ज है। उक्त आराजीयात मे अप्रार्थी ने बिना किसी सक्षम स्वीकृत के भूमि को कृषि से अकृषि में रूपान्तरित किया है। भूमि ख0न0 5361 रकबा 0.46 है0, ख0न0 5362 रकबा 0.79 है0 कृषि भूमि है। जिसमे अप्रार्थी द्वारा बिना कोई भू परिवर्तन कराये कृषि भूमि को अकृषि मे परिवर्तित किया है जो अवैधानिक है तथा राजस्थान काश्तकारी नियमों के विपरीत है और भूमि का सिवायचक घोषित किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि भूमि ख0न0 5361 रकबा 0.46 है0, ख0न0 5362 रकबा 0.79 है0 ग्राम उदेईकलॉ स को सिवायचक घोषित किया जावे एवं अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जावे। भूमि को कब्जा राज मे लिया जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया गया । अप्रार्थी बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ। अतः इसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने नकल जमाबंदी सं0 2073 से 2076 खाता संख्या 311, नकल नक्शा ट्रेस, प्रमाणित प्रति [illegible] रिपोर्ट दिनांक 27.5.2019 एवं निर्णय न्यायालय तहसीलदार [illegible] दिनांक 29.7.2019 राजस्थानी मुकदमा सरकार बनाम जगदीश पुत्र प्रभूदयाल [illegible] पेश किए हैं एवं बयान प्रार्थी तहसीलदार गंगापुर सिटी कराए है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:20 IST
Reason: SelfAttested

बहस लैण्ड होल्डर तहसीलदार सुनी गई।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए कहा कि अप्रार्थी ने कृषि भूमि को बिना सक्षम स्वीकृति के अकृषि के रूप मे उपयोग मे लिया है जिसके बारे मे अप्रार्थी को कई बार अवगत करा देने के बाद भी अप्रार्थी द्वारा भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही नही की है, इस कारण उक्त भूमि को सिवायचक घोषित किया जावे, अप्रार्थी को भूमि से बेदखल किया जावे एवं भूमि को कब्जे राज मे लिया जावे।

बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। नकल जमाबंदी संवत 2073–76 खाता संख्या 311 में जगदीश पुत्र [illegible] जाति रैगर के नाम वादग्रस्त भूमि खातेदारी मे अंकित है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 27.5.2019 के अनुसार खातेदार द्वारा कुछ वर्ष पूर्व इस भूमि मे प्लाटिंग कर अवैध रूप से बेचान कर दिया गया है। तहसीलदार गंगापुर सिटी के द्वारा अप्रार्थी के विरूद्ध की गई धारा 91 एल.आर.एक्ट सहपठित धारा 90 ए लैण्ड रेवेन्यु एक्ट मे कार्यवाही की गई है। इस अभिलेख से खातेदार द्वारा वादग्रस्त भूमि का सक्षम स्वीकृति के बिना कृषि से अकृषि मे भूमि परिवर्तन किया जाना पाया जाता है। खातेदार अप्रार्थी का यह कार्य राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत कार्यवाही किये जाने योग्य है। फलस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट स्वीकार किया जाकर भूमि ख0न0 [illegible] रकबा 0.46 है0 व ख0न0 5362 रकबा 0.79 है0 ग्राम उदेईकलॉ स को सिवायचक घोषित किया जाता है। यह भूमि खातेदार अप्रार्थी की खातेदारी से कम की जाकर सिवायचक दर्ज की जावे एवं कब्जेराज मे ली जावे। पालना हेतु निर्णय की प्रति तहसीलदार गंगापुर सिटी को प्रेषित की जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 9.2.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar Choudhary
Date: 2022.02.07 12:51:20 IST
Reason: SelfAttested

([illegible])
उप जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी